झारखण्ड सरकार

कार्यालय :–जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , लोहरदगा।

अल्पकालीन निविदा सूचना सं0– 03/2020–21

वित्तीय वर्ष 2020–21 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत जलाशयों/नदियों के छाडन में 1000 लाख मत्स्य स्पॉन संचयन तथा लोहरदगा जिला के कुल 220 प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को भारतीय मेजर कॉप के 5380 लाख मेजर कार्प मत्स्य स्पॉन अर्थात कुल 6380 लाख मेजर कार्प मत्स्य स्पॉन उपलब्ध कराने हेतु मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

अग्रधन की राशि 70200.00 रू0 का डिमॉड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा निर्गत होना चाहिए ,जो जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ,लोहरदगा के पदनाम से नामित होगा।

दिनांक 05.08.2020 के पूर्वाहन् 11 बजे से दिनांक 06.08.2020 को अपराहन 06.08.2020के 1:00बजे अपराह्न तक जिला मत्स्य कार्यालय लोहरदगा के कार्यालय में मुहरबंद निविदा स्वीकार किया जाएगा तथा उसी दिन अपराहन 3.00 बजे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लोहरदगा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोली जाएगी।

निविदा की शर्तें जिला मत्स्य कार्यालय , लोहरदगा के सूचनापट्ट/lohardaga.nic.in पर देखा जा सकता है।

22/7/2020

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
लोहरदगा।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी , लोहरदगा।

भारतीय मेजर कार्प मत्स्य स्पॉन आपूर्तिकर्ताओं हेतु सामान्य अनुदेश/निदेश

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होना चाहिए।
2. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का विवरण एवं ब्रुडर का ऑकडा देना अनिवार्य होगा।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता एक साईकल में कितना मत्स्य उत्पादन करते हैं (संख्या करोड में) देना अनिवार्य होगा।
4. आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन प्रति बैग 30000 न्यूनतम एवं 50000 अधिकतम होना चाहिए। साथ ही कतला का मात्रा 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।
5. स्पॉन आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे की स्वस्थ, प्रौढ़ एवं विनिर्दिष्ट प्रजाति के प्रजनकों द्वारा उत्पादित स्पॉन ही आपूर्ति किया जाय।
6. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जाएगा , एक में तकनीकि दस्तावेज तथा दूसरे में निविदत्त दर (परिवहन एवं पैकेजिंग सहित)।
7. संबंधित कार्य का झारखण्ड राज्य अर्न्तगत सरकारी /अधीन विभागों में आपूर्ति का अनुभव/आपूर्ति आदेश संबंधित प्रमाण–पत्र (कम से कम तीन वर्षों का) संलग्न करना अनिवार्य है।
8. जिन निविदाकर्ता का अनुभव जितना ज्यादा होगा उन्हे प्राथमिकता दिया जाएगा।
9. विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10. पैन कार्ड. का छायाप्रति।
11. आधार कार्ड/पहचान पत्र का छायाप्रति।
12. GST निबंधन प्रमाण पत्र संलग्ण करना होगा।
13. संबंधित कार्य हैचरी संचालन/ प्रशिक्षण का अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. आपूर्ति केवल स्वस्थ एवं सक्रिय स्पॉन का ही किया जाय। अक्रिय एवं अस्वस्थ स्पॉन का विलगाव उद्गम स्थल पर ही कर लिया जाय।
15. आपूर्ति स्थल पर केवल स्वस्थ एवं सक्रिय स्पॉन ही स्वीकार किया जाएगा। शेष (यदि कोई हो) को यह माना जाएगा कि जैसे उसकी आपूर्ति हुई ही नहीं।
16. उद्गम स्थल से स्पॉन के परिवहन का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाय ताकि अगले प्रातः काल तक स्पॉन आपूर्ति स्थल पर पहुँच जाय।
17. स्पॉन परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं उनके चालक के पास वाहन परिचालन से संबंधित सभी प्रकार के वैध दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
18. आपूर्तिकर्ता स्पॉन आपूर्ति से संबंधित चालान दो प्रतियों में निर्गत करेंगे जो परिवहन वाहन के साथ होगा।

19. आपूर्ति स्थल पर रैंडम चेकिंग के आधार पर परिवहन किये जा रहे स्पॉन के परिमाण एवं गुणवत्ता का सत्यापन किया जाएगा, जो तब तक सही माना जाएगा जब तक इसके विरूद्ध साबित न कर दिया जाय।
20. आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्पॉन की पैकिंग के समय उसकी मात्रा एवं परिमाप बिल्कुल सही हो तथा ऑक्सीजन पैकिंग ठीक–ठीक की गई हो। साथ ही स्पॉन मापी करने हेतु आवश्यक उपकरण निविदा के समय उपलब्ध कराना होगा।
21. आपूर्ति किये जाने वाले मत्स्य स्पॉन की मापी करने हेतु सक्षम प्राधिकार को अधिकार प्राप्त होगा था निविदा में स्पष्ट करना होगा कि प्रति बैग में कितना स्पॉन आपूर्ति कराया जाएगा।
22. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश आपूर्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा दिये गये मानक के अनुरूप मत्स्य स्पॉन की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में उनका नाम काली सूची में दर्ज करते हुए जमा किये गये प्रतिभूति की राशि को जब्त कर ली जाएगी। एवं उक्त दर पर ही दूसरे सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
23. आपूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा होगी कि वे उपरोक्त वर्णित सभी अनुदेशों/निदेशों का अनुसरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं किये जाने पर युक्तियुक्तरीति से स्पॉन आपूर्ति/भुगतान संबंधी दावों को अस्वीकार किया जा सकता है। इस संबंध में बिना कारण बताये विभागीय हित को ध्यान में रखते हुए निविदा में किसी भी तरह का परिवर्तन एवं रद्द करने का अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

22/7/2020

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक ,पदाधिकारी
लोहरदगा।